व्यक्ति द्वारा दूसरे हिस्सेदारो के कब्जे में दखल अन्दाजी की संभावना एवं पक्षकारो के मध्य विवाद होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुये आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त कृषि भूमि की आज की रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझते है अत: दोनों पक्षकार आगामी तारीख पेशी तक रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17-10-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

17/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थीगण राजीबाई, भंवरी, भगाराम, मंजु भी व्यक्तिश: उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 बाबुलाल उप.। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल राजस्व वाद संख्या 2023/186 जरिये विड्राल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है जिससे मूल वाद के अभाव में उक्त T.I. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। उक्त आदेश के पश्चात दिनांक 13-09-23 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

ल.अ.नि. राजीबाई

ल.अ.नि. भंवरी

ल.अ.नि. भगाराम

अ.नि. मन्जु

Identified by
(Adv. for Applicants)

बाबु MIM
(अप्रार्थी)